

बिहार सरकार  
समाज कल्याण विभाग  
(आई.सी.डी.एस. निदेशालय)

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की केन्द्रांश राशि

पत्र संख्या- ICDS/20020/05-2018/ 1181 / (आवंटनादेश संख्या 162/2018-19)

प्रेषक,

आलोक कुमार, भा.व.से.  
निदेशक, आई.सी.डी.एस.।

सेवा में,

सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 27/02/2019

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2018-19 में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की केन्द्रांश राशि (विपत्र कोड 51-2235021020222) से ऑगनबाड़ी सेवाएँ (आई.सी.डी.एस.) अन्तर्गत सभी 38 जिला प्रोग्राम कार्यालय को स्थापना मद के अन्तर्गत सामग्री एवं पूर्तियों मद (स्कूल पूर्व शिक्षा के अंतर्गत ECCE प्रशिक्षण हेतु) में ₹8,92,81,332/- (₹ आठ करोड़ बानवें लाख एकासी हजार तीन सौ बत्तीस) मात्र का आवंटन।

महाशय,

समाज कल्याण विभाग के स्वीकृत्यादेश पत्र सं०-03 दिनांक 18.04.18 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2018-19 में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की केन्द्रांश राशि से ऑगनबाड़ी सेवाएँ (आई.सी.डी.एस.) अन्तर्गत सभी 38 जिला प्रोग्राम कार्यालय को स्थापना मद के अन्तर्गत सामग्री एवं पूर्तियों मद (स्कूल पूर्व शिक्षा के अंतर्गत ECCE प्रशिक्षण हेतु) में संलग्न विवरणी के अनुसार ₹8,92,81,332/- (₹ आठ करोड़ बानवें लाख एकासी हजार तीन सौ बत्तीस) मात्र आवंटित की जाती है।

2. समाज कल्याण विभाग के पत्र संख्या 5781 दिनांक 14.12.2018, "समेकित बाल विकास छत्र योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य स्तर पर आई.सी.डी.एस. निदेशालय (मुख्यालय), जिला स्तर पर 38 जिला प्रोग्राम कार्यालय एवं परियोजना स्तर पर 544 बाल विकास परियोजनाओं में सृजित विभिन्न पदों की स्थापना का दिनांक 31.03.2019 तक अवधि विस्तार करने एवं विभिन्न योजनाओं के संचालन हेतु स्वीकृत राशि का वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय करने की स्वीकृति" के आलोक में व्यय योग्य राशि की निकासी की जा सकेगी।

3. आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन हेतु सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित है।

4. कुल भारित व्यय की राशि ₹8,92,81,332/- (₹ आठ करोड़ बानवें लाख एकासी हजार तीन सौ बत्तीस) मात्र मॉग संख्या-51 के अधीन केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की केन्द्रांश राशि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के मुख्य शीर्ष "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-0222-एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (आई.सी.डी.एस.)" विपत्र कोड-51-2235021020222, PFMS Code-9281, विषय शीर्ष-(0222.21.01) सामग्री एवं पूर्तियों के अन्तर्गत विकलनीय है।

5. बिहार वित्तीय नियमावली में निहित सुसंगत वित्तीय प्रावधानों का अनुपालन करते हुए भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुपात केन्द्रांश:राज्यांश (60:40) में आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन की व्यक्तिगत जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।


6. आई.सी.डी.एस. निदेशालय के पत्र सं०-964 दिनांक 18.02.19 के आधार पर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी एवं व्ययन सुनिश्चित करेंगे।

7. राशि की निकासी एवं व्ययन हेतु वित्त विभाग का पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998, पत्रांक 3758/वि० दिनांक 31.05.2017, 378/वि० दिनांक 16.01.2018, 354/वि० दिनांक 28.03.2018, 3244/वि० दिनांक 04.05.2018, 6903 दिनांक 13.09.2018 एवं समय समय पर निर्गत परिपत्र/अनुदेश लागू होंगे।

8. यह चालू योजना है, अतः इसमें महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. महालेखाकार, बिहार, पटना एवं संबंधित पदाधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गयी है।

विश्वासभाजन

  
(आलोक कुमार)


निदेशक, आई.सी.डी.एस.


ज्ञापांक : ICDS/20020/05-2018/ 1181 /दिनांक : 27/02/2019

प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)/अपर मुख्य सचिव एवं बजट शाखा, समाज कल्याण विभाग/सहायक निदेशक-सह-प्रभारी पदाधिकारी ECCE, आई.सी.डी.एस. निदेशालय/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक : ICDS/20020/05-2018/ 1181 /दिनांक : 27/02/2019

प्रतिलिपि - सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक, आई.सी.डी.एस.

  
निदेशक, आई.सी.डी.एस.

वित्तीय वर्ष 2018-19 में ऑगनबाड़ी सेवाएँ (आई.सी.डी.एस.) अंतर्गत स्थापना मद् में सामग्री एवं पूर्तियाँ मद् से स्कूल पूर्व शिक्षा अंतर्गत ECCE प्रशिक्षण हेतु सभी 38 जिला प्रोग्राम कार्यालय को केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की केन्द्रांश (60%) राशि मद् में आवंटित राशि की विवरणी:-

(राशि रू. में)

क्र0	जिला का नाम	आवंटित राशि सामग्री एवं पूर्तियाँ मद् ECCE प्रशिक्षण हेतु (0222.21.01)
1	2	3
1	अररिया	22,09,350
2	अरवल	89,502
3	औरंगाबाद	21,67,548
4	बांका	17,25,678
5	वेगुसराय	28,18,428
6	भागलपुर	25,25,814
7	भोजपुर	24,42,210
8	बक्सर	13,07,658
9	दरभंगा	36,18,564
10	पुर्वी चम्पारण	47,11,314
11	गया	37,67,820
12	गोपालगंज	24,84,012
13	जमुई	13,07,658
14	जहानाबाद	5,49,324
15	कैमुर	10,74,798
16	कटिहार	28,60,230
17	खगडिया	10,74,798
18	किशनगंज	12,00,204
19	लखीसराय	4,65,720
20	मधेपुरा	16,00,272
21	मधुबनी	43,35,096
22	मुंगेर	9,07,590
23	मुजफ्फरपुर	44,60,502
24	नालंदा	28,60,230
25	नवादा	20,83,944
26	पटना	44,18,700
27	पूर्णिया	29,02,032
28	रोहतास	28,60,230
29	सहरसा	14,33,064
30	समस्तीपुर	41,02,236
31	सारण	37,85,772
32	शेखपुरा	23,850
33	शिवहर	23,850
34	सीतामढी	33,02,100
35	सीवान	33,43,902
36	सुपौल	18,09,282
37	वैशाली	33,85,704
38	प0 चम्पारण	32,42,346
कुल योग :-		8,92,81,332

(रूँ आठ करोड बानवे लाख एकासी हजार तीन सौ बत्तीस) मात्र।

*Allok Kumar*  
(आलोक कुमार)

निदेशक, आई.सी.डी.एस.